न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 249/2024
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. दुलीचंद जांदु नहर अध्यक्ष, साकिन ढणी चक 54000 आरडी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 86 रा0का0अधि0 बाबत् विधि विरूद्ध हरे वृक्ष काटने पर शास्ति बाबत्

निर्णय

दिनांक 26/8/25

राजपैरोकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीए प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वाद वादी निम्न प्रकार से है –यह कि वादी व प्रतिवादी का रजिस्ट्रेड पता शीर्षक में दर्ज है वह सही है। यह कि समस्त समाज द्वारा दूरभाष पर सूचना दिये जाने पर पटवारी हल्का 12 एसपीडी को दूरभाष पर दिये निर्देशों की पालना में दिनांक 21.09.2024 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर की गई कार्यवाही द्वारा के सम्बन्ध में दैनिक डायरी रिपोर्ट की चित्रप्रति के अनुसार दुलीचन्द जांदु नहर अध्यक्ष, साकिन ढाणी चक 54000 आरडी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ द्वारा चक 4 एसटीबी के गै० मु० खला प0नं0 87/364 (23) कि.नं. 1 ता 5, प.नं. 86/364(22) कि.नं. 3 ता 5, प.नं. 87/363 (14) कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25, प.नं. 87/362(11) कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25, प.नं. 87/361 (04) कि.नं. 3, 8, 13, 18, 23, 24, 25, में मौके पर चालू सिंचाई खाले पर खड़े पेड़ों को जेसीबी की सहायता से उखाड़ा गया और सिंचाई खाले को खुर्द–बुर्द किय गया। मौके पर 2 खेजड़ी के मध्यम आकार के पेड़, 1 बेरी का मध्यम आकार का पेड़, 2 मध्यम आकार के नीम के पेड़, 18 शीशम मध्यम आकार के पेड़ उखाडे हुए मिले। इसके अलावा भी लगभग 200 छोटे शीशम, नीम, शहतूत, पीपल के पेडों को उखाड़ा गया। मौके पर उक्त पेड़ों नहीं उठाने हेतु पाबन्द किया गया है। प्रति संलग्न वाद पत्र है। यह कि उक्त हरे वृक्ष हटाने संबन्धी को स्वीकृति / आज्ञा प्रतिवादी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। यह कि प्रतिवादी द्वारा बिना स्वीकृति लिए प्रतिबंधित हरे पेडों को काटा गया है। यही बिनाय दावा है। यह कि हरे वृक्षों को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। यह है कि उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय के [illegible] है। अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रतिवादी द्वारा बिना स्वीकृति के प्र[illegible] वृक्ष हटाने के जुर्म में प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अ[illegible] कार्यवाही कद दण्डित किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को वास्ते तामिल समन जारी किये गए। बाद तामिल समन हाजिर नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी की जा चुकि है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बहस राजपैरोकार सुनी गई। पत्रावली का अवालोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा चक 4 एसटीबी के गै० मु० खला प०नं० 87/364 (23) कि.नं. 1 ता 5, प.नं. 86/364(22) कि.नं. 3 ता 5, प.नं. 87/363 (14) कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25, प.नं. 87/362(11) कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25, प.नं. 87/361 (04) कि.नं. 3, 8, 13, 18, 23, 24, 25, में मौके पर चालू सिंचाई खाले पर खड़े पेड़ों को जेसीबी की सहायता से उखाड़ा गया और सिंचाई खाले को खुर्द-बुर्द किय गया। बार-बार समन जारी करने पर हाजिर नहीं होने के कारण प्रतिवादी की उदासीनता/निर्भिकता साबित होती है। प्रतिवादी को कुल पैड़ों की संख्या के अनुसार 4500/-रू शासती के दण्ड एवं प्रतिवादी प्रत्येक पेड़ की एवज में एक पेड़ लगाये जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राशि खजानाराज में जमा करवाया जावे। पैड़ों की निलामी हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उमा मित्तल आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested